न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : निशान्त जैन, आई०ए०एस०

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 04/2022

प्रार्थी–

अमीर पुत्र अलफ जाति मुसलमान निवासी गुडीसर तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. अदरीम पुत्र इब्राहीम
2. भका पुत्र इब्राहीम
3. लखु पुत्र मालु
4. अरबा पुत्र मालु जाति मुसलमान निवासी गुडीसर तहसील व जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा विक्रय विलेख संख्या 11,21,29 दिनांक 17.12.2021 जो ग्राम पंचायत गुडीसर द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।
2. श्री महेन्द्रसिंह सोढ़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1, 3व4 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 28.08.2024

1. प्रार्थी की ओर से जनसुनवाई दिनांक 18.02.2022 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आलौच्य पट्टों की जांच कर निरस्त करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत गुडीसर की ओर से अप्रार्थी अदरमान पुत्र इब्राहीम, लखु पुत्र मालू, आरभ पुत्र मालू निवासी गुडीसर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या क्रमशः 11, 21, 29 दिनांक 17.12.2021 के विरूद्ध स्वयं सरपंच द्वारा जारी किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत गुडीसर द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1, 3 व 4 के पक्ष मे राजस्थान

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत प्रशासन गांवों के संग कैम्प 2021 में मौजा गुडीसर की आबादी भूमि के खसरा नम्बर 76 में पट्टा संख्या 11, 21, 29 दिनांक 17.12.2021 जारी किये गये। ग्राम पंचायत गुडीसर द्वारा उक्त पट्टे जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टों की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत गुडीसर का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से निवेदन किया कि मौजा गुडीसर की आबादी भूमि में खसरा नम्बर 76 में मेरा पैतृक एवं पुश्तैनी कब्जा सुदा प्लांट आया हुआ है। उक्त प्लांट के चारो तरफ चीणे लगाकर छतरा बनाया हुआ है। जिसका उपयोग एवं उपभोग मेरे एवं मेरे परिवार वालो द्वारा किया जा रहा है। हमारे गैर मौजुदगी में अप्रार्थीगण द्वारा षडयंत्र रचकर फर्जी दस्तावेज तैयार करके पट्टे प्रशासन गांवों के संग कैम्प गुडीसर में जारी करवा दिये गये है। उक्त प्लांट पर हमारा पीड़ियों से मालिकाना अधिकार है। मेरे प्लांट को हड़पने के उद्वेश्य से फर्जीवाड़ा करके पट्टे जारी किये गये है। इस आधार पर बिना कब्जा के अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया आलौच्य पट्टा 11, 21, 29 दिनांक 17.12.2021 निरस्त योग्य हैं।

5. अप्रार्थीगण के अधिव[illegible] किया कि ग्राम गुडीसर की आबादी भूमि में अप्रार्थी[illegible] हुए है। ग्राम पंचायत गुडीसर द्वारा अप्रा[illegible]शासन गांवो के संग कैम्प 2021 में पट्टे 11, 21, 29 दिनांक 17.12.2021 को जारी किये गये हैं। अप्रार्थीगण की ओर से जारी पट्टे ग्राम पंचायत गुडीसर द्वारा नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किये गये है । ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुडीसर द्वारा भूखण्ड का स्थल निरीक्षण समिति व मौतबिरान के समक्ष किया गया तथा इसमें किसी प्रकार की आपति नही होने से यह पट्टे जारी किये गये। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं जो सव्यय खारिज फरमाई जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी का कथन हैं कि मौजा गुडीसर की आबादी भूमि में खसरा नम्बर 76 में मेरा पैतृक एवं पुश्तैनी कब्जा सुदा प्लांट आया हुआ है। उक्त प्लांट के चारो तरफ चीणे लगाकर छतरा बनाया हुआ है। जिसका उपयोग एवं उपभोग मेरे एवं मेरे परिवार वालो द्वारा किया जा रहा है। हमारे गैर मौजुदगी में अप्रार्थीगण द्वारा षडयंत्र रचकर फर्जी दस्तावेज तैयार करके पट्टे प्रशासन गांवों के संग कैम्प गुडीसर में जारी करवा दिये गये है। उक्त प्लांट पर हमारा पीड़ियों से मालिकाना अधिकार है। मेरे प्लांट को हड़पने के उद्वेश्य से फर्जीवाड़ा करके पट्टे जारी किये गये है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम गुडीसर की आबादी भूमि में अप्रार्थीगण के आवासीय भूखण्ड आये हुए है। ग्राम पंचायत गुडीसर द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रशासन गांवो के संग कैम्प 2021 में पट्टे 11, 21, 29 दिनांक 17.12.2021 को जारी किये गये हैं। अप्रार्थीगण की ओर से जारी पट्टे ग्राम पंचायत गुडीसर द्वारा नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी कि[illegible] पंचायत गुडीसर के आलौच्य अभिलेख का अव[illegible] जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 1, 3 व 4 द्वारा [illegible] अभियान के दौरान अपने पुराने गृहों के विनियमितीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये जिस पर नियमानुसार मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाकर पंचायत की

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर पट्टे जारी किये गये हैं। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुडीसर द्वारा भूखण्ड का स्थल निरीक्षण समिति व मौतबिरान के समक्ष किया गया तथा इसमें किसी प्रकार की आपति नही होने से यह पट्टे जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02 भका पुत्र इब्राहीम नाम से कोई भी पट्टा जारी नहीं हुआ है। इस आधार पर आलौच्य पट्टा सं. 11, 21, 29 की वैधता, नियमितता एवं पूर्णता की पहलु पर किसी प्रकार की त्रुटि नही होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन विकास अधिकारी पं.स. बाड़मेर को भिजवाया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में अपने स्तर से भी जांच कर समुचित निस्तारण करें।

8. निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(निशान्त जैन)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 18:46:27 IST
Reason: SelfAttested